अति आवश्यक / PMAY-G

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (33)ग्राविवि–5/सां./Guidance/ 2018–19 जयपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के संबंध में।

राज्य में प्राकृतिक आपदा – बाढ के कारण आमजन के आवास भी क्षतिग्रस्त हुये है। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अन्तर्गत योजना की स्थाई वरीयता सूची के साथ – साथ स्थाई वरीयता सूची से वचित पात्र परिवारो का चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के फ्रेमवर्क (दिशा–निर्देश) के अध्याय–11 के बिन्दु संख्या–11.1 के अनुसार विशेष परियोजनाओं के लिए वार्षिक केन्द्रीय आवंटन का 5 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के स्तर पर आरक्षित निधी के रूप में रखे जाने का प्रावधान है, जिसमें "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में दी गई प्राकृतिक आपदाएँ–बाढ़, भूकंप, आग आदि" के कारण उन परिवारों का पुनर्वास/पुर्नावंटन जिनके मकान पूरी तरह/आंशिक रूप से टूट–फूट गए हैं, का प्रावधान है। उक्त संबंध में बिन्द संख्या 11.2.2 अनुसार प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जानी है :–

1. उन लाभार्थियों का निर्धारण करना, जिन्हें विशेष परियोजना के तहत सहायता दी जानी है। (SECC-2011 सूची से टिन या ए.एच.एल. टिन सहित)
2. विशेष परियोजनाओकं के तहत निर्धारित किए गए लाभार्थी उन परिवारों से है, जिन्हें स्थायी प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध किया गया है।
3. नई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के संबंध में लाभार्थियों ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन शुरू करने के लिए सहमति दी है।

उक्त संबंध में आपके जिले मे बाढ से प्रभावित क्षेत्रों के कम में जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी सूचना निम्न प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे :–

प्रपत्र – 1 :– आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त :– स्थाई वरीयता सूची में शामिल पात्र परिवार जो PMAY-G अंतर्गत लाभान्वित है

क्र. स.	लाभार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति , जिला	वरीयता सूची अनुसार स्थिति कमांक		PMAY-G अंतर्गत स्वीकृति का विवरण
						वर्ग	वरीयता कमांक	

प्रपत्र – 2 :– आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त :– स्थाई वरीयता सूची में शामिल पात्र परिवार जो PMAY-G अंतर्गत लाभान्वित होने से शेष है

क्र.स.	लाभार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति , जिला	वरीयता सूची अनुसार स्थिति क्रमांक		SECC- 2011 सूची से टिन या ए.एच.एल. टिन सहित
						वर्ग	वरीयता क्रमांक	

प्रपत्र – 3 :– आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त :– जो स्थाई वरीयता सूची में शामिल नहीं लेकिन चिन्हित वंचित पात्र परिवार जिनकी सूचना आवास प्लस ऐप पर अपलोड द्वारा भारत सरकार को प्रेषित

क्र.स.	लाभार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति , जिला	चिन्हित आवास प्लस ऐप पर अपलोड की स्थिति		आधार नम्बर
						वर्ग	विवरण / टिन / कमांक	

प्रपत्र – 4 :– आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त :– जो उक्तानुसार स्थाई वरीयता सूची अथवा चिन्हित वंचित पात्र परिवारों की सूची में शामिल नहीं

क्र.स.	लाभार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति , जिला	चिन्हित आवास प्लस ऐप पर अपलोड की स्थिति		आधार नम्बर
						वर्ग	विवरण / टिन / कमांक	

अतः उक्त संबंध में जिले में बाढ़ प्रभावित पात्र परिवारों को विशेष परियोजना के तहत लाभान्वित कराये जाने हेतु उक्तानुसार सूचना विभाग को दिनांक 20.9.19 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एव पंरावि राजस्थान जयपुर।
3 वरिष्ठ उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4 निजी सचिव, अपर सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
6 निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि, राजस्थान, जयपुर।
8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि